



क्र.सं.	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
17/23	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>महादेव किस्कू, पिता-स्व० राधा मांझी, ग्राम-बसकुदरा, पोस्ट-रेलीगढ़ा, थाना-गिद्दी-ए, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाड़ी, मौजा-बसकुदरा, थाना नं०-37, खाता संख्या-59, प्लॉट संख्या-1353, रकवा-43 डी०, भूमि सीता देवी, पति त्रिभुवन मांझी, ग्राम-डाड़ी टोला सातकडिया, पोस्ट-गिद्दी-सी, थाना-गिद्दी ए, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि विक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-205/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-1190/रा० दिनांक-27.03.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, डाड़ी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग के पत्रांक-210 दिनांक-18.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं एक ही थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदक को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत शामा मांझी हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 8.65 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 7.46 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-61/1 पर शामा मांझी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदक के दादा है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदक के हिस्से की भूमि 7.46 एकड़ है। विक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 7.03 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि विक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिस्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प कार्रवाई के दिवसीय तारीख
1	2	3
	<p>अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग द्वारा विक्रेताओं को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में महादेव किस्कू, पिता-स्व० राधा मांड़ी, ग्राम-बसकुदरा, पोस्ट-रेलीगढ़ा, थाना-गिदी-ए, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-डाड़ी, मौजा-बसकुदरा, थाना नं०-37, खाता संख्या-59, प्लॉट संख्या-1353, रकबा-43 डी०, भूमि सीता देवी, पति त्रिभुवन मांड़ी, ग्राम-डाड़ी टोला सातकडिया, पोस्ट-गिदी-सी, थाना-गिदी ए, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	